न्यायालयः— अपर सेशन न्यायाधीश कामां जिला डीग (राज0)

पीठासीन अधिकारी : डॉ. मनोज तिवारी, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध आपराधिक प्रकरण संख्या : 452/2026

सीआईएस नंबर : 818/2026

सीएनआर नंबर : RJDE080010052026

मौसम पुत्र कासम, उम्र 30 वर्ष, निवासी टायरा, पुलिस थाना कामां, जिला डीग (राजस्थान)।

—प्रार्थी/अभियुक्त

ब ना म

राजस्थान राज्य, जरिए अपर लोक अभियोजक, कामां, जिला डीग।

—अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 42/2026 पुलिस थाना पहाड़ी, अपराध धारा 309(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता।

उपस्थिति :—

1. श्री लियाकल अली, गुलजार खान, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त।
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

आ दे श दिनांक : 06.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 480 के अधीन प्रस्तुत जमानत आवेदन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2026 को जमानत आवेदन खारिज करने से व्यथित होकर यह धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई एवं संबंधित अनुसंधान पत्रावली तलब की गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

2. विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त के दौराने बहस तर्क रहे हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त का आरोपित अपराध से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, उसे इस प्रकरण में कतई झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी होना शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय क्षेत्राधिकार का स्थाई निवासी है, जिसके फरार होने का कोई अंदेशा नहीं है और ना ही गवाहान को टैम्परविद किये जाने का कोई अंदेशा है। प्रार्थी/अभियुक्त का आरोपित अपराध प्रथम अपराध है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालय संतोष की जमानत देने को तैयार व तत्पर है। अन्त में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

3. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा **309(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता** के तहत गम्भीर अपराधों के आरोप प्रमाणित हैं। प्रकरण में अभी अनुसंधान लम्बित है। अन्त में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण में परिवादी उस्मान पुत्र बल्लू की तहरीर पर थाना पहाड़ी में मु.नं. 42/2026 अन्तर्गत धारा 309(4) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज कराया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया एवं दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 309(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में जुर्म प्रमाणित पाने पर उसको गिरफ्तार किया गया।

5. केस डायरी में उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण/प्रार्थीगण के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त निम्न आपराधिक प्रकरणों की सूची निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	**मुकदमा नंबर**	**थाना**	**अन्तर्गत धारा**
1.	113/18	कैथवाड़ा	498ए, 406 भा.दं.सं.
2.	20/16	क्राईम ब्रांच दिल्ली	364ए, 395, 342, 420, 467, 468, 120बी भा.दं.सं.
3.	525/16	कामां	364ए, 395, 420, 120बी भा.दं.सं. व 3/25 आर्म्स एक्ट
4.	474/13	कामां	3/25 आर्म्स एक्ट
5.	359/12	कामां	341, 323, 325, 354 भा.दं.सं.
6.	680/20	कामां	143, 323, 341, 354 भा.दं.सं.
7.	304/20	कामां	143, 341, 323, 427, 447, 384 भा.दं.सं.
8.	24/26	कामां	309(6) बी.एन.एस.

6. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं अनुसंधान पत्रावली व पुलिस द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अनुसंधान पत्रावली व तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी की मोटर साईकिल को लूटकर ले जाने के विरूद्ध धारा **309(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता** के अपराधों के आरोप प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाए गए हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा 08 अन्य आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने बाबत् अभिलेख अनुसंधान पत्रावली पर संलग्न है, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त का आदतन आपराधिक प्रवृति का होना दर्शित होता है

तथा पुनः अपराध कारित किए जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में **माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त नीरू यादव बनाम उत्तरप्रदेश राज्य (2014) 16 एस.सी.सी. 508** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि **"अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान करते समय न्यायालय को उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि एवं अन्य परिस्थितियों पर भी विचार करना चाहिए।"** अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता एवं प्रार्थी/अभियुक्त की आपराधिक प्रवृति को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आ दे श

7. फलस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त **मौसम पुत्र कासम, उम्र 30 वर्ष, निवासी टायरा, पुलिस थाना कामां, जिला डीग (राजस्थान)** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMW (Cri) No. 4/2021 में पारित आदेश दिनांकित 31-01-2023 की पालना में आदेश की प्रति अभियुक्त को सूचित करने हेतु संबंधित कारागृह को जरिये ई–मेल भिजवाई जावे।

(डॉ. मनोज तिवारी)
अपर सेशन न्यायाधीश,
कामां, जिला डीग

9. आदेश आज दिनांक **06.06.2026** को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुनाया गया।

(डॉ. मनोज तिवारी)
अपर सेशन न्यायाधीश,
कामां, जिला डीग